

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2021/ 8833

जयपुर, दिनांक 16-07-2021

—:: आदेश ::—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 एवं संशोधन नियम 2017 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2021 में श्री रमेश चन्द मीणा को वरिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-1) को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पदोन्नति की अनुशंषा की गयी।

श्री रमेश चन्द मीणा को मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2018 में दिये गये आदेशानुसार सेवा में पुनः बहाल कर समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के क्रम में पालना हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 2254 दिनांक 12.02.2019 द्वारा श्री मीणा को पुनः सेवा में बहाल किया गया। इसके फलस्वरूप श्री मीणा को विभागीय आदेश क्रमांक 32233 दिनांक 10.07.2020 द्वारा कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन सील कवर लिफाफा खोला जाकर वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2005-06 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी। पदोन्नति उपरान्त श्री मीणा को श्रीमती सुमित्रा दाधीच(सामान्य) की वरीयता से नीचे तथा श्रीमती सुशीला(एस.टी.)की वरीयता के ऊपर वरीयता प्रदान की गयी।

मा0 न्यायालय के आदेश की पालना में श्री मीणा को वरिष्ठ लिपिक(लिपिक ग्रेड-1) से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त सहायक कार्यालय अधीक्षक पद के लिए वर्ष 2015-16(बैठक दिनांक 31.05.2016) की डी.पी.सी. की अभिशंषाओं को रिव्यू किये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2021 को आयोजित की गयी।

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री रमेशचन्द मीणा(31.07.2020 को सेवानिवृत्त) को वरिष्ठ लिपिक(लिपिक ग्रेड-1) से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2015 से प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है। श्री मीणा को पदोन्नति का वित्तीय लाभ नोशनल देय होगा।

पदोन्नति उपरान्त श्री मीणा को सहायक कार्यालय अधीक्षक की वरीयता सूची में श्रीमती सुमित्रा दाधीच(सामान्य) से नीचे तथा श्रीमती सुशीला(एस.टी.) से ऊपर वरीयता प्रदान की जाती है।

(ओ0पी0 बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2021/ 8834-47

जयपुर, दिनांक : 16/7/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक(कार्यालय प्रशासन) प्रभारी अधिकारी।
4. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) को बेवसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
5. सहायक लेखाधिकारी, भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
6. प्रभारी, संस्थापन प्रशाखा (पी.-3)/जांच प्रशाखा/पेंशन प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्री रमेश चन्द मीणा, सेवानिवृत्त।
8. व्यक्तिगत पत्रावली मीणा।
9. आदेश पत्रावली।


16/07/2021

अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)